संख्या-377/2021/आई/84263/2021/2021/41-1002/547/2019/24(बजट)/2017

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 30 जुलाई, 2021**

विषय:-जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्टस काम्प्लेक्स एवं झील मनोरंजन की परियोजना हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6693/6-1-1(1197)/रा0यो0/2020-21 दिनांक 25 फरवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. **जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्टस काम्प्लेक्स एवं झील मनोरंजन की परियोजना हेतु** चयनित कार्यदायी संस्था कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज **(सी0 एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम** द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-95/2018/1251/41-2018-24(बजट)/2017 दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा धनराशि रू0 40.12 करोड़ (रूपये चालीस करोड़ बारह लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 25.00 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। तदनन्तर शासनादेश संख्या-99/2020/795/41-2020-24(बजट)/2017 दिनांक 06 मार्च, 2020 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप रू0-**7.00** करोड (रूपये सात करोड मात्र) ,शासनादेश संख्या-227/2020/2684/41-2020-24(बजट)/2017 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 द्वारा तृतीय किश्त के रूप रू0-**5.00** करोड (रूपये पांच करोड मात्र) एवं शासनादेश संख्या-281/2020/911/41-2021-24(बजट)/2017 दिनांक 24 मार्च, 2021 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप रू0-3.12 करोड अवमुक्त किये गये हैं। इस प्रकार परियोजना की मूल स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है**, परन्तु परियोजना के अन्तर्गत कतिपय अन्य कार्यों को कराये जाने के दृष्टिगत महानिदेशक पर्यटन के पत्र दिनांक 25 फरवरी 2021 द्वारा इस प्रायोजना हेतु क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी गोरखपुर /आजमगढ के पत्र दि0-5-2-21 द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन (वर्क डन और वर्क टू बी डन के आधार पर गठित) रू0- 4518.35 लाख के आधार पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया । व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 22-3-21 में उक्त पुनरीक्षित आगणन रू0-4518.35 लाख का परीक्षण/मूल्यांकन कराने के उपरान्त पुनरीक्षित लागत रू0-4475.39 लाख संस्तुत की गई ।**

3- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यय वित्त समिति द्वारा प्रश्नगत चालू प्रायोजना के पुनरीक्षित आगणन के आधार पर संस्तुत लागत के क्रम में प्रायोजना की मूल प्रशासकीय स्वीकृति रू0-40.12 करोड के स्थान पर **प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0-4475.39 लाख (रूपये**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चौवालीस करोड पचहत्तर लाख उनतालीस हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-95/2018/1251/41-2018-24(बजट)/2017 दिनांक 30 मार्च, 2018, शासनादेश संख्या-99/2020/795/41-2020-24(बजट)/2017 दिनांक 06 मार्च, 2020 , शासनादेश संख्या-227/2020/2684/41-2020-24(बजट)/2017 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 एवं शासनादेश संख्या-281/2020/911/41-2021-24(बजट)/2017 दिनांक 24 मार्च, 2021 अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) परियोजना में प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओ /विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत 30138.67 घ0मी0 मिट्टी भराई हेतु रू0-103.18 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है परन्तु जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति के आधार पर प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मिट्टी भराई हेतु रू0-97.65 लाख की लागत को अनुमन्य किया गया है।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गई है ,अत: प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं की जायेगी। प्रायोतना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में ***प्रामाणिक प्रपत्र- जी0एस0टी0 इन्वायस*** सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव /आगणन में कराये जा रहे कार्यों की लागत का समस्त उत्तरदायित्व महानिदेशक पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(6) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-689/दस-2021 दिनांक 27 जुलाई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया उपरोक्त क्रमांक-3,4,6,7,8,10 एवं 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
7- प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम।
8. मुख्य अभियन्ता, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम गोरखपुर।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।